



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 388 राँची, शुक्रवार,

6 ज्येष्ठ, 1938 (श०)

27 मई, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

24 मई, 2016

एस0 ओ0-24 दिनांक 27 मई, 2016 राज्य सरकार, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के परामर्श से The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Court Act, 2015 की धारा-3 (1) के तहत राँची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिलों में जिला न्यायाधीश स्तर के 01-01 (एक-एक) अर्थात् कुल तीन 03 (तीन) वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन करती है, जिसका क्षेत्राधिकार क्रमशः राँची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिलों की स्थानीय सीमाएँ होंगी ।

2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी ।

(बी01/विधि-कोट गठन-क-02-2016 (छाया)-1220/जे0)

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

अधिसूचना**24 मई, 2016**

एस0 ओ0—25-- दिनांक 27 मई, 2016 **एस0 ओ0--24** दिनांक 27 मई, 2016 निम्नांकित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा अंकित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी ।

(बी01/विधि-कोट गठन-क-02-2016 (छाया)-**1220**/जे0)

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

NOTIFICATION

The 24th may, 2016

S.O. 24—dated 27th may, 2016 In exercise of the powers conferred by Section 3 (1) of The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Court Act, 2015, the State Government in consultation with the Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi, is pleased to establish one Commercial Court each at Ranchi, Dhanbad & East Singhbhum (Jamshedpur) District. The jurisdiction of above mentioned Commercial Courts at Ranchi, Dhanbad and East Singhbhum (Jamshedpur) shall be the local limits of Ranchi, Dhanbad and East Singhbhum (Jamshedpur) District respectively.

2. This Notification shall come into force with effect from the date of notification.

(File No.-B/Vidhi-Court Gathan-Ka-02/2016-**1220** /J)

By the order of the Governor of Jharkhand,

Dinesh Kumar Singh,
Principal Secretary-cum-L.R.
Law Department
Govt. of Jharkhand, Ranchi.
